रजिस्ट्रर्ड नं० HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 18 जुलाई, 2005/27 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल,
शिमला-171009

विज्ञापन बाबत अकसाम आराजी तहसील पांवटा,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

शिमला-9, 17 जून, 2005

संख्या रैव०/एस०टी०/एस०एम०एल०/ए-पांव०-4/2004-109-117——तहसील पांवटा, जिला सिरमौर. हिमाचल प्रदेश का 9 मुहालात का स्पैशल रीविजन आफ रिकार्ड आफ राइट्स की अधिसूचना नम्बर रैव० बी० एफ० (8) 1/2001, दिनांक 24 जून, 2003 द्वारा जारी हुई है । इस समय इन मुहालात का कार्य भू-व्यवस्था मीट्रीक प्रणाली में किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 4 के अनुसार किसी क्षेत्र की जरायती आराजी की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए अकसाम आराजी की तजवीज की जानी आवश्यक है । हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 52 और पंजाब भू-व्यवस्था नियमावली के पैरा 515 में वर्णित प्रावधानानुसार इन महालात के लिए नवीन भू-राजस्व की कायमी होगी । इन परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए यह उचित समझा गया कि उपरोक्त प्रावधानो की उपस्थिति में तहसील पांवटा, जिला सिरमौर के लिए निम्नलिखित अकसाम आराजी की तजवीज की जाती

है, जिसका अमन फिलहाल इस तहसील के 9 मुहालात क्रमश: 1. शुभखेड़ा, 2. देवीनगर, 3. तारुवाला, 4. शमशेरपुर, 5. बदरीपुर, 6. भूपपुर, 7. केदारपुर, 8. भठावली व 9. धर्मकोट में किया जाना है, जिसकी सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना जारी हुई है। और बाकी तहसील के महालात नगर पंचायत के अतिरिक्त जब भी नोटीफाइड हो उनमें भी एक अमली हेतु यही कि में अमल में लाई जावेगी :—

"क्रष्ट"

"सिंचित"

1. नहरी अव्वल	वह काश्ता भूमि जो नहर के पानी से सिंचित होती है और सिंचाई के लिए पानी दोनों/तीनों फसलों में मात्रा में मिलता हो।
2. नहरी दोयम	वह काश्ता भूमि जो नहर के पानी से सिंचित होती है तथा पानी की पर्याप्तता नहरी अव्वल की अपेक्षा कम हो।
3. बागीचा नहरी अव्वल	वह काश्ता भूमि जिसमें फलदार पौधे आम, सेब, आड़ू, अमरूद, पलम, बादाम खुरमानी आदि लगाए हो तथा भूमि की सिंचाई नहर के पानी से की जाती हो। सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता हो।
4. बागीचा नहरी दोयम	वह भूमि जो नहर के पानी से सिंचित होती है परन्तु पानी की पर्याप्तता बागीचा नहरी अव्वल की अपेक्षा कम हो।
5. कूहल अव्वल	वह काश्ता भूमि जो कूहल के पानी से सिंचित होती है और सिंचाई के लिए पानी दोनों/तीनों फसलों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है।
6. कूहल दोयम	वह काश्ता भूमि जो कूहल के पानी से सिंचित होती है तथा पानी की पर्याप्तता कूहल अव्वल की अपेक्षा कम हो।
7. बागीचा कूहल अव्वल	वह काश्ता भूमि जिसमें फलदार पौधे आम, सेब, आड़ू, अमरूद, पलम, बादाम, लीची व खुर्मानी आदि लगाए गए हों तथा ऐसी भूमि कूहल के पानी से सिंचित होती हो नीज सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता हो।
8. बागीचा कूहल दोयम	वह भूमि जिसमें फलदार पौधे आम, सेब, आड़ू, अमरूद, पलम, बादाम, लीची आदि लगाए गए हो परन्तु पानी की पर्याप्तता बागीचा कूहल अव्वल की अपेक्षा कम हो।
9. कूहल सोयम	वह काश्ता भूमि जिसकी सिंचाई कूहल के पानी से होती हो परन्तु सिंचाई के लिए पानी साल भर में एक-आध बार ही मिलता हो।

10.	बागीचा कूहल सोयम	वह काश्ता भूमि जिस पर फलदार पौधे जैसे आम, सेब, आड़ू, अमरूद, पलम, लीची आदि लगाए गए हों तथा जिसकी सिंचाई कूहल के पानी से होती हो, परन्तु सिंचाई के लिए पानी साल भर में एक-आध बार ही मिलता हो ।
11.	चाही अव्वल	वह काश्ता भूमि जो चाही/कुंआ के पानी से सिंचित होती है और सिंचाई के लिए पानी दोनों/तीनों फसलों को पर्याप्त मात्रा में मिलता हो ।
12.	चाही दोयम	वह काश्ता भूमि जो चाह/कुंओं के पानी से सिंचित होती हो परन्तु सिंचाई के लिए पानी चाही अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में मिलता हो ।
13.	चाही सोयम	वह काश्ता भूमि जिसकी सिंचाई चाह/कुंओं से होती हो परन्तु सिंचाई के लिए पानी साल भर में एक आध बार ही मिलता हो ।
14.	बागीचा चाही अव्वल	वह काश्ता भूमि जिसमें फलदार पौधे आम, सेब, आड़ू, अमरूद व बादाम आदि लगाए गए हों तथा ऐसी भूमि चाह/कुंओं के पानी से सिंचित होती हो नीज सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता हो ।
15.	बागीचा चाही दोयम	वह काश्ता भूमि जिस पर फलदार पौधे आम, अमरूद, लीची, खुमानी आदि लगाए गए हों तथा ऐसी भूमि चाह/कुंओं के पानी से सिंचित होती हो निज सिंचाई के लिए पानी बागीचा चाही अव्वल की अपेक्षा कम मात्रा में मिलता हो ।
16.	खादर अव्वल	नदी के किनारे वाली काश्ता भूमि जिसमें साल में दो/तीन फसलें होती हों तथा सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता हो तथा फसल खरीफ में धान की फसल काश्त होती हो ।
17.	खादर दोयम	नदी के किनारे वाली काश्ता भूमि जिसमें साल में दो/तीन फसलें होती हों परन्तु सिंचाई के लिए पानी आवश्यकतानुसार से कम मिलता हो तथा फसल खरीफ में धान की फसल काश्त होती हो ।
18.	सेलावी	वह काश्ता भूमि जिसमें मौसम बरसात में काफी पानी निकला हो साल में एक ही फसल धान की काश्त होती हो ।

	(ख) असिंचित ।
19. ओवड़ अव्वल	वह काश्त भूमि जिसमें साल में दो/तीन फसलें होती हों तथा आबादी के नजदीक हो और वर्षा पर निर्भर हो ।
20. ओवड़ दोयम	वह काश्त भूमि जिसमें साल में दो या तीन फसलें हों तथा वर्षा पर निर्भर हो और आबादी से काफी दूरी पर स्थित हो ।
21. ओवड़ सोयम/खाल	वह काश्त भूमि जो आबादी से काफी दूरी पर स्थित हो साल में एक ही फसल काश्त होती हो और वर्षा पर निर्भर हो ।
22. बागीचा ओवड़ अव्वल	वह काश्त भूमि जिस पर फलदार पौधे लगाए गए हों आबादी के नजदीक हो तथा वर्षा पर निर्भर हो ।
23. बागीचा ओवड़ दोयम	वह काश्त भूमि जिस पर फलदार पौधे लगाए गए हों तथा आबादी से काफी दूरी पर हों, और वर्षा पर निर्भर हो ।
	"अकृष्ट"
24. बंजर जदीद	वह भूमि जो कभी काश्त थी परन्तु लगातार दो फसल से बिला काश्त रही हो ।
25. बंजर कदीम	वह भूमि जो पहले काश्त थी परन्तु चार वर्षों से काश्त नहीं हो रही हो ।
26. घासनी	मालकान की वह निजी भूमि जो घास कटाई के लिए सुरक्षित रखी गई हो ।
27. नरसरी	सरकारी/निजी मलकीयत की ऐसी भूमि जिसमें अकसर पौधे लगाए जाते हों ।
28. वन	मालकान का ऐसा रकबा जिसमें सफेदा आदि के दरख्तान हों ।
29. बनी	मालकान का ऐसा निजी रकबा जिसमें पशु परिलदार दरख्त हो
30. चरागाह दरख्तान	सरकारी मलकीयत का ऐसा रकबा जो चरान्द आदि के लिए सुरक्षित हों और उसमें दरख्तान हों ।
31. चरागाह बिला दरख्तान	सरकारी मलकीयत का ऐसा रकबा जो चरान्द आदि के लिये सुरक्षित हों परन्तु ऐसे रकबा में दरख्त न हों ।
32. जंगल रिजर्व	मलकीयत सरकार का वह रकबा जिसमें हदबंदी हुई हो और जंगल रिजर्व करार दिया हो ।

33.	जंगल मेहफूजा-मेहदूदा	सरकार की मलकीयत का ऐसा रकबा जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानानुसार "जंगल मेहफूजा मेहदूदा" करार हुआ हो । ऐसे रकबा के चारों ओर ठडाबंदी हुई हो ।
34.	जंगल मेहफूजा गैर-मेहदूदा	सरकार की मलकीयत का ऐसा रकबा जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानानुसार जंगल मेहफूजा गैर मेहदूदा करार पाया हो और उसके चारों ओर नियमानुसार ठडाबंदी हुई हो इस प्रकार के रकबा में हकूक बराये जमीन दारान वन विभाग के स्थानीय नियमों के अनुसार होते हो ।
35.	पन चक्की	पानी से चलने वाली मशीनें जैसे घराट, धान कुट्टी, आरा मशीन आदि ।
36.	गैर मुमकिन	वह रकबा जो कावले काश्त में कभी आने की सम्भावना न हो । (सरकारी/गैर सरकारी भूमि)

नोट :—उक्त वर्णित गैर मजरूआ के मद 32 का अलग महाल कायम होगा ।

आम जनता, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर को सूचित किया जाता है कि उक्त तजवीज अकसाम आराजी बारे अगर किसी महानुभाव को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो या सुझाव आदि प्रेषित करना हो तो इस विज्ञापन की वसूली के एक मास के अन्दर-अन्दर लिखित रूप में कार्यालय हजा को प्रेषित करें । अगर विहित अवधि में कोई सुझाव/एतराज प्राप्त नहीं होता तो इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-
भू-व्यवस्था अधिकारी,
शिमला मण्डल, शिमला-9.

दिनांक : 16-6-2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।